

FORM No. III

APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुक...खीवसर

चोलाराम बनाम भूर राभ

कस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एफ्ट...नं. 115 सन्. 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
	24.10.2018	

प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एफ्ट के तहत प्रस्तुत किया।

प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जन्ट नंबर का है इसलिये हमें एक पक्षीय सुना जावें। वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थीगण एवं पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड अनुसार विवादग्रस्त भूमि का रिपोर्ट खतातेदार है पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड एवं बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इसलिए आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से संबधित अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि मौजा काटिया के विवादग्रस्त खेत ख.न. 1168 रकबा 14.05 बीघा, ख.न. 1503 रकबा 5.11 बीघा, ख.न. 1641 रकबा 12 विश्वा गैर मुमकीन ढाणी, ख.न. 1642 रकबा 4.11 बीघा ख.न. 1643 रकबा 12 विवा गैर मुमकीन बाड़ा तथा मगरेवाली ढाणी, ख.न. 1883/277 रकबा 34.03 बीघा की आराजी में प्रार्थी के हक हिस्से तक की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी किसी प्रकार की दखलअदाजी ने तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, तथा अप्रार्थीगण इसका बैचान हस्तान्तरण, रहन नहीं करे और राजस्व एवं बीके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है।

उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक प्रभावी रहेगा।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरिये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 28.11.2018 पेश हो।

सहायक कलक्टर  
खीवसर

22/11

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

मुकदमा/प्रकरण नं. अर्जन्ट नंबर

तारीख  
हुकूम

19/9/22

पत्रावली पेश हुई।  
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/  
प्रश्न/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अप्रकाश पर गये हुए है। पत्रावली भागामी  
दिनांकको... 28/9/22 को पेश हो।

28/9/22

पत्रावली पेश हुई।  
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/  
प्रश्न/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अप्रकाश पर गये हुए है। पत्रावली भागामी  
दिनांकको... 12/10/22 को पेश हो।

12/10/22

पत्रावली पेश हुई।  
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/  
प्रश्न/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अप्रकाश पर गये हुए है। पत्रावली भागामी  
दिनांकको... 11/11/22 को पेश हो।

9/11/22

पत्रावली पेश हुई। वही रूप प्रतियाही  
गण को बार-बार व्यथित हाज में  
आवाज की गयी। अगर गैर-हाजिर।  
अतः बार-बार आवाज देने के पश्चात  
भी कोई भी उपरिष्ठ नहीं होने के कारण  
उक्त प्र. पत्र O/S 212 RT Act को  
अदम पेंदवी- अदम हाजिरी में खारिज  
किया जागा है। वही के निवेदन पर  
उक्त प्रकरण को पुनः Re-open या Re-open  
किया जा सकता है।

पत्रावली फेशल शुभा शंकर, जलप  
के उम शंकर बाद जाला दाखिल रफर  
हो।

सहायक क्लर्क  
(एस.डी.ओ.) खीसर